निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :180/2022(मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. भगवान सहाय मीणा पुत्र श्री रामपाल मीना
2. पांची देवी मीना पत्नी श्री भगवान सहाय मीणा

   निवासी बालमुकन्दपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ममतादेवी पत्नी श्री राम प्रसाद मीणा पुत्री श्री भगवान सहाय मीणा
2. सोना देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा पुत्री श्री भगवान सहाय मीणा

   निवासी हुकण, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा, जिला जयपुर ।
4. नानगी देव पत्नी श्री स्व॰ श्री भूराराम जाति मीणा
5. मीठालाल पुत्र स्व॰ श्री भूराराम जाति मीणा
6. राम प्रसाद पुत्र स्व॰ श्री भूराराम जाति मीणा
7. शंकर लाल पुत्र स्व॰ श्री भूराराम जाति मीणा
8. फूला देवी पत्नी स्व॰ श्री रामवतार जाति मीणा
9. विमला देवी पुत्री स्व॰ श्री रामवतार जाति मीणा
10. सीमा देवी पुत्री स्व॰ श्री रामवतार जाति मीणा
11. रवि कुमार पुत्र स्व॰ श्री रामवतार जाति मीणा
12. किरण पुत्री स्व॰ श्री रामवतार जाति मीणा

    निवासी बालमुकन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 40/2020 उनवानी ममता देवी ब नाम पांची देवी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सुरेन्द्र सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री ज्ञान प्रकाश जाट अधिवक्ता अप्रार्थी 4 लगायत 12 की की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांक 13.07.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 40/2020 उनवानी ममता देवी बनाम पांची देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 ने जरिये अधिवक्ता आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का पेश किया जो दिनांक 09.01.223 को स्वीकार किया गया । उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 02.06.2020 को उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित स्थगन आदेश को निरस्त करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण नाजायज फायदा पहुंचाने पर उतारू है। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुँच रखते है । आये दिन उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में मिलीभगत करते है व उपरोक्त उनवानी प्रकरण में दावा घोषणा खातेदारी का स्थगन आदेश को निरस्त करने पर उतारू है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी चाकसू श्री अशोक कुमार रिणवा द्वारा अप्रार्थिया के प्रभाव में आने के कारण न्याय की हत्या करने पर आमादा हो कर प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ जाकर प्रकरण को एक पक्षीय न्याय निर्णय के आधार पर निरतारित करना चाह रहे है । विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैत्रृक कृषि भूमि है। जिसका घोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है लेकिन अप्रार्थीया को फायदा पहुंचाने की गरज से स्थगन आदेश को निरस्त करना चाह रहे है इसलिए भी पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है तथा प्रार्थीगण के साथ होने वाली अन्याय की भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है इसलिए प्रार्थी ने काल्पनिक एवं झूठे कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थीगण को परेशान करने के उद्वेश्य से बडी बडी तारीख पेशी लेने की कोशिश में रहते है तथा मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। पूर्व में भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज हो चुके है। प्रार्थीगण बार-बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगा कर प्रकरण का निरतारण नहीं होने देना चाहते है । अप्रार्थीगण अपने कानूनी हक व अधिकारों से महरूम हो रहे है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है प्रार्थीगण द्वारा ही बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किय जा रहे है जिससे प्रार्थीगण की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की बदनियति जाहिर होती है। प्रार्थीगण का यह कृत्य न्याय के नसैर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रार्थीगण ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर